बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–3/अ०प्र०–1–159/2014 ~~661~~ 661 /पटना, दिनांक :–05/04/23

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई–सह–जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतने, विभागीय निदेश के बावजूद प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प सं0–1236 दिनांक 06.04.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2156 अनु0 दिनांक 27.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रसाद से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2592 दिनांक–25.08.2017 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया। स्मारित करने के बावजूद भी द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं करने के कारण प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री प्रसाद को द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु सूचित किया गया फिर भी उनके द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह मानते हुए कि आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के प्रसंग में श्री प्रसाद को कुछ नहीं कहना है श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 17 अनु0 दिनांक 04.01.2023 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 4223 दिनांक 27.01.2023 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

अतः श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई–सह–जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

1. पेंशन से पाँच वर्षों तक पाँच (05) प्रतिशत की कटौती।

8
6/3/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–159/2014 ~~662~~ 662 /पटना, दिनांक :–05/04/23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
6/3/2023
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com,**& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—159/2014 ~~662~~ 662 /पटना, दिनांक :— 05/04/23

प्रतिलिपि :—माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा—6 एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई—सह—जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः—202, जयश्री कॉम्प्लेक्स, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—159/2014 ~~662~~ 662 /पटना, दिनांक :— 05/04/23

प्रतिलिपि :—विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/3/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com,**& secy-reo-bih@nic.in

आई. टी. मैनेजर